



2026:AHC-LKO:21965

इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10649 वर्ष 2024

फिरदौस बेग

.....आवेदक(कों)

बनाम

मुख्य सचिव (गृह) के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, लखनऊ।

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अनामिका सिंह, आनंद दुबे, अंकित सिंह, गोविंद कुमार पांडे, परितोष शुक्ला, साक्षी सिंह, समीर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, अखिलेश कुमार मिश्रा

न्यायालय कक्ष संख्या-14**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता-श्री योगेश कुमार सिंह की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन प्रतापगढ़ जिले के कुंडा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 325, 323, 504, 506 के तहत दर्ज अपराध संख्या 110/2024 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपर्युक्त मामला दिनांक 15.04.2024 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत अभियुक्त इमरान बेग और जावेद बेग के विरुद्ध दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने दिनांक 12.04.2024 को लगभग शाम 6 बजे अभियुक्त के घर में प्रवेश किया और उसकी मां पर लाठी, कुल्हाड़ी और फावड़े से हमला किया, जिससे उनके सिर में गहरी चोट और बाएं पैर और पीठ में भी चोटें आईं।

4. जमानत याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 9 सितंबर 2024 से जेल में बंद है।

5. पीड़ित की 12.04.2024 को तैयार की गई चिकित्सा-कानूनी जांच रिपोर्ट में माथे पर बाईं ओर एक बड़े घाव का उल्लेख है। दाहिने हाथ के पिछले हिस्से में दर्द और सूजन, बाएं पैर के ऊपरी हिस्से में चोट के कारण सूजन, बाएं घुटने में चोट के कारण सूजन और बाएं हाथ के पिछले हिस्से में दर्द की शिकायत। चोट संख्या 1 से 4 तक के मामलों में सीटी स्कैन और एक्स-रे के लिए निगरानी रखी गई। 3 सितंबर 2024 को पूरक चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कहा गया है कि सीटी स्कैन में खोपड़ी के बाएं सुप्राऑर्बिटल क्षेत्र में हेमेटोमा (खून का जमाव) और खोपड़ी की ललाट हड्डी के बाएं सुप्राऑर्बिटल क्षेत्र में फ्रैक्चर पाया गया। अतः चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की है। 13 अप्रैल 2024 की एक्स-रे रिपोर्ट में बाएं पैर में फ्रैक्चर पाया गया, जो भी गंभीर प्रकृति का है। अन्य चोटें मामूली बताई गईं। सीटी स्कैन और एक्स-रे रिपोर्ट की प्रतियां जमानत आवेदन के साथ संलग्न हैं। चिकित्सा-कानूनी जांच करने वाले डॉक्टर ने एफ.आई.आर. के विवरण का समर्थन किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. राज्य ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए एक प्रति-हलफनामा दाखिल किया है और उसके साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की प्रतियां और धारा 307, 325, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए दिनांक 15.09.2024 की आरोपपत्र की प्रति संलग्न की है।

7. घायल व्यक्ति खालिदा बीबी ने भी एक प्रति-हलफनामा दायर किया है जिसमें चिकित्सा दस्तावेज संलग्न किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि लगभग छह महीने पहले लगी चोट के कारण पीड़िता की बाईं आंख की सर्जरी 03.10.2024 को करानी पड़ी थी।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि घटना 12.04.2024 को घटी थी और एफ.आई.आर. 15.04.2024 को दर्ज की गई थी तथा एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यद्यपि पीड़िता की चिकित्सा जांच कथित तौर पर 12.04.2024 को की गई थी और उसका एक्स-रे परीक्षण 13.04.2024 को किया गया था जिसमें फ्रैक्चर का पता चला था, फिर भी 15.04.2024 को दर्ज की गई एफ.आई.आर. में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है और एफ.आई.आर. केवल धारा 323, 504, 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई है तथा गंभीर चोट पहुंचाने या हत्या के प्रयास से संबंधित किसी भी धारा का उल्लेख एफ.आई.आर. में नहीं किया गया है।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि दिनांक 12.04.2024 की चिकित्सा-कानूनी परीक्षा रिपोर्ट का क्रमांक 23704 है, जबकि उसी अस्पताल में 03.09.2024 को तैयार की गई पूरक रिपोर्ट का क्रमांक 23294 है, जो प्रथम दृष्टया इससे चिकित्सा रिपोर्टों में जालसाजी या मनगढ़ंत जानकारी का संकेत मिलता है।

10. न्यायालय ने जांच अधिकारी श्री गिरीश धर दुबे से इस विसंगति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले के इस पहलू की जांच नहीं की है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. उपर्युक्त विसंगति एक बहुत ही गंभीर मामला है जो अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ संदेह पैदा करता है।

12. उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि घटना 12.04.2024 को हुई थी और कथित तौर पर 13.04.2024 को चिकित्सा जांच की गई थी जिसमें पीड़ित को कुछ गंभीर चोटें दिखाई दी थीं, एफ.आई.आर. बिना किसी विलंब स्पष्टीकरण के 15.04.2024 को केवल धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई है और एफ.आई.आर. में गंभीर चोट पहुंचाने या हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल नहीं हैं, इसलिए धारा 325 और 307 भारतीय दंड संहिता को 15.09.2024 को दायर आरोप पत्र में जोड़ा गया है; चूंकि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 9 सितंबर 2024 से जेल में बंद है, जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, निचली अदालत ने केवल अपराध का संज्ञान लिया है और अभी तक आरोप भी तय नहीं किए हैं, और मामले की खूबियों को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि उपरोक्त तथ्य आवेदक को उपरोक्त अपराध में जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त हैं।

13. तदनुसार, यह जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

14. आवेदक-फिरदौस बेग को उपरोक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/अदालत की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उसकी उपस्थिति से छूट न दी जाए।

28 मार्च 2026

राम।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।